



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1829/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
<p>प्रदीप लखोटिया डी 378 पंचवटी, भीलवाड़ा, राजस्थान</p>		<p>राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान पुलिस विभाग, वृत्त जयपुर ग्रामीण, स्टेशन रोड, सदर थाना के पास, 31, सिचाई विभाग जयपुर</p>

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का
अधिकार अधिनियम, 2005**

निर्णय

दिनांक : 12-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री धर्मेन्द्र कुमार, हैड कांस्टेबल, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 23-8-17 के द्वारा एफआईआर संख्या 98/17 पुलिस थाना विराटनगर, जिला जयपुर ग्रामीण की रोजनामचा तफतीशी आदि के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 4-10-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 7-9-17 से विनिश्चय प्रेषित करते हुए 6 पृष्ठीय सूचना प्रदान करने हेतु राशि 12/-रु. का सूचना शुल्क जमा करवाने हेतु निवेदन किया गया एवं पुलिस डायरी के सम्बन्ध में चाही गई सूचना के सम्बन्ध में अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया था कि पुलिस डायरी के सम्बन्ध में वह समस्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती जिसमें पुलिस के प्रतिदिन सम्बन्ध, साक्षीगण एवं अन्य सूचना अंकित है। यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी को प्रेषित पत्र दिनांक 7-9-17 को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी प्रथम अपील निर्णय दिनांक 4-10-17 से खारिज कर दी।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 12-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत करते हुए प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध पत्रादि से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रेषित विनिश्चय एवं प्रथम अपीलीय निर्णय विधिसंगत है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त